

Haryana Government Gazette Extraordinary

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 183-2017/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, OCTOBER 18, 2017 (ASVINA 25, 1939 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 18th October, 2017

No. 34-HLA of 2017/89/20763.— The Indian Stamp (Haryana Second Amendment) Bill, 2017, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:-

Bill No. 34- HLA of 2017

THE INDIAN STAMP (HARYANA SECOND AMENDMENT) BILL, 2017

A

Bill

further to amend the Indian Stamp Act, 1899, in its application to the State of Haryana. Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-eighth Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Indian Stamp (Haryana Second Amendment) Act, 2017.

Short title.

- 2. In Schedule 1-A to the Indian Stamp Act, 1899:-
 - (i) in article 5, against clause (d), under column 2, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-
 - "Two per cent of the market value of the property or the amount of such consideration as set forth in the Collaboration Agreement whichever is higher.";

Amendment of schedule 1-A to Central Act 2 of 1899.

(ii) after article 23 and entries thereagainst, the following article and entries thereagainst shall be added, namely:-

"23A. Conveyance, so far as it relates to reconstruction or amalgamation or merger/demerger of companies by an order of the High Court under section 394 of the Companies Act, 1956 (Central Act 1 of 1956) or reconstruction or amalgamation or merger/demerger of companies under sections 232 and 233 of the Companies Act, 2013 (Central Act 18 of 2013) by the Tribunal.

1.5 per cent subject to a maximum of ₹ 7.5 crore on an amount of the market value of the property or the amount of such consideration as set forth in the instrument or order, whichever is higher.";

Nil

(iii) against article 43, after clause (b) and entries thereagainst, the following clauses and entries thereagainst shall be added, namely:-

"(c) In case of delivery

One rupee for every ten thousand rupees or a part thereof, subject to a maximum of five hundred rupees.

(d) In case of non delivery, and relating to futures and options trading

Twenty paise for every ten thousand rupees or a part thereof, subject to a maximum of two hundred rupees.

(e) If relating to forward contracts of commodities traded through an association or otherwise

One rupee for every one lakh rupees or a part thereof, subject to a maximum of five hundred rupees.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The rate of Stamp Duty on instrument relating to giving authority or power to a promoter or a developer or by whatever name called for construction on, development of or, sale or transfer (in any other manner whatsoever) of, any immovable property/Collaboration Agreements under Article 5(d) of Schedule 1-A of the Indian Stamp Act, 1899 and stamp duty on Conveyance regarding reconstruction or amalgamation or merger/de-merger of companies under Article 23 of Schedule 1-A of the Indian Stamp Act, 1899 in other States of Andhra Pradesh (1%), Punjab (Fixed Rs.2000/-), M.P.(2%), Bihar (2%), Tamil Nadu(1%), Telangana (1%) and Maharashtra (1%) are very nominal. The rate of 5% Stamp Duty in the State of Haryana on both the above instruments is a deterrent in promotion of affordable housing to all by 2022 and needs to be aligned with rates of other.

Similarly, the rate of Stamp Duty one rupee for every rupees ten thousand or a part thereof, of the value of the security at the time of its purchase or sale, as the case may be on instrument of Note or Memorandum, sent by a Broker or Agent to his principal intimating the purchase or sale on account of such principal-(b) of any stock or marketable security exceeding in value twenty rupees under Article 43(b) of schedule 1-A of the Indian Stamp Act, 1899 needs to be reduced and aligned with the rate of stamp duty in other States to encourage expansion of such business in the State of Haryana.

State Government of Haryana therefore, intends to reduce the rates of Stamp Duty under Article No. 5(d), 23 and 43(b) of Schedule 1-A of the Indian Stamp Act, 1899. Therefore, the Indian Stamp (Haryana Second Amendment) Bill, 2017 is placed on Table of the House.

CAPTAIN ABHIMANYU,
Revenue and Disaster Management Minister,
Haryana.

Chandigarh:
R. K. NANDAL,
The 18th October, 2017.

Secretary.

FINANCIAL MEMORANDUM

The Stamp Duty on instrument relating to giving authority or power to a promoter or a developer or by whatever name called for construction on, development of or, sale or transfer (in any other manner whatsoever) of, any immovable property/Collaboration Agreements under Article 5(d) of Schedule 1-A of the Indian Stamp Act, 1899 and stamp duty on Conveyance regarding reconstruction or amalgamation or merger/de-merger of companies under Article 23 of Schedule 1-A of the Indian Stamp Act, 1899 in other States of Andhra Pradesh (1%), Punjab (Fixed Rs.2000/-), M.P.(2%), Bihar (2%), Tamil Nadu(1%), Telangana (1%) and Maharashtra (1%) are very nominal. But rate of 5% Stamp Duty in the State of Haryana on both the above instruments is a deterrent in promotion of affordable housing to all by 2022 and needs to be aligned with rates of other.

The rate of Stamp Duty one rupee for every rupees ten thousand or a part thereof, of the value of the security at the time of its purchase or sale, as the case may be on instrument of Note or Memorandum, sent by a Broker or Agent to his principal intimating the purchase or sale on account of such principal-(b) of any stock or marketable security exceeding in value twenty rupees under Article 43(b) of schedule 1-A of the Indian Stamp Act, 1899 needs to be reduced and aligned with the rate of stamp duty in other States to encourage expansion of such business in the State of Haryana. Therefore, State Government of Haryana intends to reduce the rates of Stamp Duty under Article No. 5(d), 23 and 43(b) of Schedule1-A of the Indian Stamp Act, 1899. This step will increase the transactions of moveable and immovable properties which will add the income of the State about Rs. 50-60 crore yearly to State Exchequer.

(प्राधिकृत अनुवाद)

2017 का विधेयक संख्या-34 एच.एल.ए.

भारतीय स्टाम्प (हरियाणा द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2017 भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

1. यह अधिनियम भारतीय स्टाम्प (हरियाणा द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2017, कहा जा सकता है । संक्षि

संक्षिप्त नाम।

1899 के केन्द्रीय

अधिनियम 2 की

संशोधन।

अनुसूची 1 क का

- 2. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1-क में,-
 - (i) अनुच्छेद 5 में, खण्ड (घ) के सामने, खाना 2 के नीचे, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"सम्पत्ति के बाजार मूल्य अथवा सहयोग करार में यथा उपवर्णित ऐसे प्रतिफल की राशि का दो प्रतिशत, जो भी अधिक हो।";

(ii) अनुच्छेद 23 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित अनुच्छेद तथा उसके सामने प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :-

"23क. हस्तान्तरण—पत्र, जहां तक यह कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 1) की धारा 394 के अधीन उच्च न्यायालय के किसी आदेश द्वारा कंपनियों के पुनर्गठन या समामेलन या विलयन / निर्वेलयन अथवा अधिकरण द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 18) की धारा 232 तथा 233 के अधीन कंपनियों के पुनर्गठन या समामेलन या विलयन / निर्वेलयन से संबंधित है।

अधिकतम ₹ 7.5 करोड़ के शून्य अध्यधीन संपत्ति के बाजार मूल्य की राशि अथवा लिखित या आदेश में यथा उपवर्णित ऐसे प्रतिफल की राशि पर 1.5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो।";

(iii) अनुच्छेद 43 के सामने, खण्ड (ख) तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित खण्ड तथा उसके सामने प्रविष्टियां जोडी जाएंगी, अर्थात:—

"(ग) परिदान की दशा में

अधिकतम पांच सौ रुपये के अध्यधीन, प्रत्येक दस हजार रुपये या उसके भाग के लिए एक रुपया।

- (घ) अपरिदान की दशा में तथा वायदा और विकल्प करार ट्रेडिंग से सम्बन्धित है
- (ङ) यदि किसी संगम या अन्यथा के माध्यम से वस्तुओं की ट्रेडिड की अग्रिम संविदाओं से सम्बन्धित है

अधिकतम दो सौ रुपये के अध्यधीन, प्रत्येक दस हजार रुपये या उसके भाग के लिए बीस पैसे।

अधिकतम पांच सौ रुपये के अध्यधीन, प्रत्येक एक लाख रुपये या उसके भाग के लिए एक रुपया।"।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

किसी प्रोत्साहक या किसी विकासक को चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, को, भारतीय स्टाम्प अधिनियम,1899 की अनुसूची 1—क के अनुच्छेद 5 (घ) के अधीन किसी अचल संपंत्ति पर निर्माण के विकास या विक्रय या अन्तरण (किसी भी रीति में चाहे जो भी हो) के लिए प्राधिकार या शक्ति देने से संबन्धित दस्तावेज पर स्टाम्प शुल्क की दर भारतीय स्टाम्प अधिनियम,1899 की अनुसूची 1—क के अनुच्छेद 23 के तहत पुनर्गठन या एकीकरण या कम्पनियों के विलयन / निर्विलयन है के सम्बन्ध में संपदा पर स्टाम्प शुल्क आंध्र प्रदेश (1%), पंजाब (2000 हजार रुपये निर्धारित) (2%), एम.पी.(2%), बिहार (2%), तिमलनाडु (1%), तेलंगाना 1%) और महाराष्ट्र (1%) नाममात्र हैं। हरियाणा राज्य में उपरोक्त दोनों दस्तावेजों पर 5 प्रतिशत की स्टाम्प शुल्क की दर 2022 के किफायती आवास को बढ़ावा देने में एक निवारक है और इसे दुसरों के रेट के बराबर लेकर आने की जरूरत है।

इसी प्रकार ज्ञापन पर नोट, ब्रोकर या एजेंट द्वारा द्वारा भेजे गए अपने प्रिंसिपल को इस तरह के प्रिंसिपल के खाते में खरीद या बिक्री को सूचित करना। (ख) ऐसे किसी भी स्टाक या विक्रय प्रतिभूति का जो 20 रुपये से अधिक मूल्य का हो, प्रतिभूति के मूल्य पर इसके क्रय और विक्रय के समय जैसी भी स्थिति हो के प्रत्येक 10000 रुपये या उसके भाग के लिए एक रुपया स्टाम्प शुल्क की दर में वृद्धि, ने सम्बन्धित कारोबार को प्रभावित किया है तथा दैनिक लेन—देन और उक्त लेन—देन के व्यापारियों के बीच असंतोष पैदा किया हैं। इसलिए हरियाणा राज्य में ऐसे कारोबार के विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य राज्यों की दरों के मध्यनजर रखते हुए तथा तर्कसंगत बनाने के लिए सम्बन्धित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूचि के आर्टिकल—43 (ख) पर स्टाम्प शुल्क की दर को कम करने का निर्णय लिया गया है।

राज्य सरकार ने **भारतीय स्टाम्प अधिनियम,1899 की** अनुसूची 1—क के प्रावधानों के अधीन मद क्रमांक 5 (घ), 23 और 43 (ख) को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है। इसलिए भारतीय स्टाम्प (हरियाणा द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2017 को सदन पटल पर रखा गया है।

कैप्टन अभिमन्यु, राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ : दिनांक 18 अक्तूबर, 2017. आर. के. नांदल, सचिव।

वित्तीय ज्ञापन

किसी प्रोत्साहक या किसी विकासक को चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, को, भारतीय स्टाम्प अधिनियम,1899 की अनुसूची 1—क के अनुच्छेद 5 (घ) के अधीन किसी अचल संपंत्ति पर निर्माण के विकास या विक्रय या अन्तरण (किसी भी रीति में चाहे जो भी हो) के लिए प्राधिकार या शक्ति देने से संबन्धित दस्तावेज पर स्टाम्प शुल्क की दर अनुसूची 1—क के अनुच्छेद 23 के तहत पुनर्गठन या एकीकरण या कम्पनियों के विलयन / निर्विलयन है के सम्बन्ध में संपदा पर स्टाम्प शुल्क आंध्र प्रदेश (1%), पंजाब (2000 हजार रुपये निर्धारित) (2%), एम.पी.(2%), बिहार (2%), तिमलनाडु (1%), तेलंगाना (1%) और महाराष्ट्र (1%) नाममात्र हैं। जबिक हिरयाणा राज्य में उपरोक्त दोनों दस्तावेजों पर 5 प्रतिशत की स्टाम्प भुल्क की दर 2022 के किफायती आवास को बढ़ावा देने में एक निवारक है और इसे दूसरों के रेट के बराबर लेकर आने की जरूरत है।

ज्ञापन पर नोट, ब्रोकर या एजेंट द्वारा भेजे गए अपने प्रिंसिपल को इस इस तरह के प्रिंसिपल के खाते में खरीद या बिक्री को सूचित करना। (ख) ऐसे किसी भी स्टाक या विक्रय प्रतिभूति का जो 20 रुपये से अधिक मूल्य का हो, प्रतिभूति के मूल्य पर इसके क्रय और विक्रय के समय जैसी भी स्थिति हो के प्रत्येक 10000 रुपये या उसके भाग के लिए एक रुपया स्टाम्प शुल्क की दर में वृद्धि, ने सम्बन्धित कारोबार को प्रभावित किया है तथा दैनिक लेन—देन और उक्त लेने—देन के व्यापारियों के बीच असंतोष पैदा किया हैं। अतः हरियाणा राज्य में ऐसे कारोबार के विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए तथा अन्य राज्यों की दरों को मध्यनजर रखते हुए तथा तर्कसंगत बनाने के लिए सम्बन्धित भारतीय स्टाम्प अधिनियम,1899 की अनुसूचि—1—क के आर्टिकल—43(ख) पर स्टाम्प शुल्क की दर को कम करने का निर्णय लिया गया है।

हरियाणा की राज्य सरकार ने **भारतीय स्टाम्प अधिनियम,1899 की** अनुसूची 1—क के मद क्रमांक 5 (घ), 23 और 43 (ख) में स्टाम्प शुल्क की दरों के प्रावधानों में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। यह कदम भारतीय स्टाम्प (हरियाणा द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2017, राज्य की आय को स्टाम्प शुल्क से बढ़ाएगा तथा सम्बन्धित लेन—देन के केस भी बढ़ेंगे तथा इस कदम से चल/अचल संपंत्ति के लेन—देन में वृद्धि होगी।